


11/06/24

पत्रावली पेश हुई। वादी व-वादी अधिकारधर अथवा वादी  
वादी अधिकारधर को निम्न-लिखित समझ पर तीन कारनामों  
लगावार्ड जर्द। कोई उप-वर्गी (अथवा) पत्रावली भद्रम दामरी  
भद्रम पैरवी- में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल  
सुमार छोडर नंबर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर (मु.), अजमेर